



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1937 (श०)

(सं० पटना 841) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2015

सं० 02/उ नि/नियोजन अनुदान-3-125/14—1200
उद्योग विभाग

संकल्प
3 जुलाई 2015

विषय:—औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत अनुदान की प्रक्रिया निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 (जो संकल्प ज्ञापांक 984 दिनांक 11.06.15 के द्वारा संशोधित किया जा चुका है) में संशोधन के संबंध में।

1. उक्त संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 की कंडिका-17(ख) के बाद निम्न प्रकार से एक नई उप कंडिका-17(ग) अन्त स्थापित की जाएगी :—

“17(ग):— औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-4(iii) नियोजन (रोजगार सृजन अनुदान) के अन्तर्गत किसी औद्योगिक इकाई द्वारा इस नीति के लागू होने के पश्चात् अगर कम—से—कम 100 (एक सौ) प्रत्यक्ष नियोजन (Direct Employment) सृजित (Generate) किया जाता हो, तो उन्हें उनके नियोजन की तिथि से 1(एक) वर्ष तक उनके नए कर्मचारियों (Employees) को जो ₹०पी०एफ० (EPF) की राशि इकाई द्वारा भुगतान की जायेगी, उसके समतुल्य प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

प्रोत्साहन राशि की स्थीकृति विभागीय आदेश ज्ञापांक 2443 दिनांक 15.07.2011 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। विभागीय आदेश ज्ञापांक 2443 दिनांक 15.07.2011 एवं संकल्प ज्ञापांक 2437 दिनांक 15.07.2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 841-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>